सरयू राय

मंत्री
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड सरकार।

झारखण्ड सरकार

पत्रांक–आ.का. /06/19
दिनांक– 15-01-2019

विषय : जमशेदपुर के मानगो क्षेत्र में दिनांक 14.5.2016 को घटित एक आपराधिक कांड (एफ़आइआर संख्या–167/2016) का अनुसंधान अबतक नहीं करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कारवाई के संबंध में.

माननीय मुख्य (गृह) मंत्री,
झारखंड सरकार.

महाशय,

उपर्युक्त विषय में राज्य सरकार के पुलिस और प्रशासन के वरीयतम अधिकारियों को मैंने समय–समय पर लिखित एवं मौखिक रूप में सूचित किया है, पर अबतक कोई नतीजा नहीं निकला. इस मामले में जमशेदपुर पुलिस द्वारा डीजीपी का निर्देश नहीं मानने तथा गृह सचिव और मुख्य सचिव का आदेश भी निष्फल हो जाने के बाद मैंने दिनांक 15.09.2018 को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री को पत्र लिखकर उनसे मार्गदर्शन मांगा. उन्होंने इस बारे में आपको भी सूचित किया, पर कोई नतीजा नहीं निकला.

सवाल है कि राज्य में कानून के शासन के प्रति ज़िम्मेदार अधिकारियों का यह रवैया किस कारण से है? क्या इस कांड का अनुसंधान नहीं करने के लिये उनपर कोई दबाव है? क्या वे अपने कर्तव्य के प्रति सजग नहीं हैं? क्या उन्होंने कानून व्यवस्था के प्रति अपने मौलिक दायित्व से मुँह मोड़ लिया है? क्या ये बेलगाम हो गये हैं और उच्चाधिकारियों का निर्देश नहीं मानते हैं? क्या उनपर किसी अदृश्य शक्ति की लगाम लगी हुई है जो उन्हें अपने कर्तव्य पथ से विचलित कर रही है? क्या ये इस आपराधिक कांड को अंजाम देनेवालों के प्रभाव में हैं? क्या इस कांड में जमशेदपुर पुलिस ने दोषियों को बचाने और निर्दोष को फँसाने की नीयत से फर्जी एफआईआर दायर किया है?

कानून के शासन में ऐसा तभी होता है जब शासकीय अधिकारी अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी पर नियम विरूद्ध निर्देश/दबाव को तरजीह देने लगते हैं और भूल जाते हैं कि ऐसे मामलों में राज्य की कार्यपालिका नियमावली तथा भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अनुरूप उनका कर्तव्य क्या है और कर्तव्य पालन के दौरान उनका दैनन्दिन आचरण कैसा होना चाहिये. इस संदर्भ में निम्नांकित विवरण तिथिवार आपके सामने रख रहा हूँ :–

1. पूर्वी सिंहभूम जिला के वरीय आरक्षी अधीक्षक को मेरे द्वारा दी गई सूचना की छायाप्रति (दिनांक –05.07.2016)
2. राज्य के आरक्षी महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक को मेरे द्वारा दी गई सूचना की छायाप्रति (दिनांक–24.08.2016)
3. राज्य के आरक्षी महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक के कार्यालय से मुझे प्राप्त पत्र की छायाप्रति (दिनांक --02.09.2016)

कार्यालय : झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची। आवास : 1, ए.जी. मोड़ डोरण्डा, राँची।
दूरभाष : 0651--2401023, फैक्स : 0651--2482455, मो. : 9431114466
ई.मेल : saryuroyoffice@gmail.com

Scanned with OKEN Scanner

4. राज्य के आरक्षी महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक के कार्यालय को मेरे आप्त सचिव द्वारा प्रेषित पत्र की छायाप्रति (दिनांक–04.11.2016)
5. राज्य के आरक्षी महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक के कार्यालय से मेरे कार्यालय को दी गई सूचना की छायाप्रति (दिनांक–22.11.2016)
6. राज्य के आरक्षी महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक को प्रेषित मेरे चर्या–टिप्पणी की छायाप्रति (दिनांक–02.02.2017)
7. राज्य के आरक्षी महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक के कार्यालय से मेरे कार्यालय को दी गई सूचना की छायाप्रति (दिनांक–09.02.2017)
8. राज्य के आरक्षी महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक को प्रेषित मेरे चर्या–टिप्पणी की छायाप्रति (दिनांक–20.03.2017)
9. राज्य के गृह सचिव को प्रेषित मेरा पत्र (दिनांक–29.05.2017)
10. राज्य के मुख्य सचिव को प्रेषित मेरे पत्रकार छायाप्रति (दिनांक–05.03.2018)
11. झारखंड प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष एवं संगठन महामंत्री को प्रेषित मेरे पत्र की छायाप्रति (दिनांक–15.09.2018)

उपर्युक्त सभी पत्रों के विवरण स्वतः स्पष्ट है. ढाई साल का समय बीत जाने के बाद भी इस संदर्भ में कारवाई नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है. प्रशासन और पुलिस मुख्यालय के वरीयतम अधिकारियों के निर्देशों का जिलास्तरीय अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा पालन नहीं किया जाना और निर्देशों की घोर अवहेलना किया जाना चिंता का विषय है. क़ायदे से राज्य के आला प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को उपर्युक्त विषय में राज्य के एक मंत्री के नाते मेरे द्वारा लिखित रूप में दी गई प्रामाणिक सूचना पर विधिसम्मत कारवाई करने की बाध्यता है. राज्य के मुख्य सचिव और गृह मंत्री को मेरे पत्र का संज्ञान लेकर शीघ्र कारवाई करनी चाहिये थी और कृतकार्य के फलाफल से मुझे अवगत कराना चाहिये था. आवश्यक प्रतीत होने पर उन्हें इस बारे में ससमय आपसे मार्गदर्शन लेना चाहिये था. उन्होंने इस बारे में आपको सूचित किया है या नहीं और आपसे मार्गदर्शन लिया या नहीं इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है. पर इतना अवश्य पता है कि या तो उन्होंने मेरे पत्र को गंभीरता से नहीं लिया या उनके एतदसंबंधी निर्देशों का अनुपालन करना पुलिस अधिकारियों ने आवश्यक नहीं समझा.

यदि मेरे सदृश व्यक्ति के लिये अपने विधान सभा क्षेत्र में हुये एक कांड का पुलिस अनुसंधान कराने में इतनी परेशानी हो रही है तो पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं सामान्य जन की क्या स्थिति होती होगी ! अंतिम प्रयत्न के रूप में मैं इसकी सूचना सीधे आपको दे रहा हूं. पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर आपके स्तर से इस संबंध में ठोस कारवाई नहीं हुई तो अपने स्तर से मैं स्वयं इस बारे में विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित कराने के लिये उपलब्ध अन्य संवैधानिक एवं वैधानिक विकल्पों को अपनाने की दिशा में अग्रसर होऊँगा. इस विषय के लंबा खींचने से या अनसुलझा रहने से राज्य में शासन की विश्वसनीयता और पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खडा हो रहा है.

सादर,

ह0/–
सरयू राय

दिनांक.....

ज्ञापांक.....

प्रतिलिपि : श्री लक्ष्मण गिलुवा, प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, झारखंड।

सरयू राय

Scanned with OKEN Scanner

सरयू राय

झारखण्ड सरकार

मंत्री
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड सरकार।

पत्रांक–आ.का./06/19
दिनांक– 15-01-2019

विषय : जमशेदपुर के मानगो क्षेत्र में दिनांक 14.5.2016 को घटित एक आपराधिक कांड (एफ़आइआर संख्या–167/2016) का अनुसंधान अबतक नहीं करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कारवाई के संबंध में.

माननीय मुख्य (गृह) मंत्री,
झारखंड सरकार.

महाशय,

उपर्युक्त विषय में राज्य सरकार के पुलिस और प्रशासन के वरीयतम अधिकारियों को मैंने समय–समय पर लिखित एवं मौखिक रूप में सूचित किया है, पर अबतक कोई नतीजा नहीं निकला. इस मामले में जमशेदपुर पुलिस द्वारा डीजीपी का निर्देश नहीं मानने तथा गृह सचिव और मुख्य सचिव का आदेश भी निष्फल हो जाने के बाद मैंने दिनांक 15.09.2018 को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री को पत्र लिखकर उनसे मार्गदर्शन मांगा. उन्होंने इस बारे में आपको भी सूचित किया, पर कोई नतीजा नहीं निकला.

सवाल है कि राज्य में कानून के शासन के प्रति ज़िम्मेदार अधिकारियों का यह रवैया किस कारण से है? क्या इस कांड का अनुसंधान नहीं करने के लिये उनपर कोई दबाव है? क्या वे अपने कर्तव्य के प्रति सजग नहीं हैं? क्या उन्होंने कानून व्यवस्था के प्रति अपने मौलिक दायित्व से मुँह मोड़ लिया है? क्या ये बेलगाम हो गये हैं और उच्चाधिकारियों का निर्देश नहीं मानते हैं? क्या उनपर किसी अदृश्य शक्ति की लगाम लगी हुई है जो उन्हें अपने कर्तव्य पथ से विचलित कर रही है? क्या ये इस आपराधिक कांड को अंजाम देनेवालों के प्रभाव में हैं? क्या इस कांड में जमशेदपुर पुलिस ने दोषियों को बचाने और निर्दोष को फँसाने की नीयत से फर्जी एफआईआर दायर किया है?

कानून के शासन में ऐसा तभी होता है जब शासकीय अधिकारी अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी पर नियम विरूद्ध निर्देश/दबाव को तरजीह देने लगते हैं और भूल जाते हैं कि ऐसे मामलों में राज्य की कार्यपालिका नियमावली तथा भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अनुरूप उनका कर्तव्य क्या है और कर्तव्य पालन के दौरान उनका दैनन्दिन आचरण कैसा होना चाहिये. इस संदर्भ में निम्नांकित विवरण तिथिवार आपके सामने रख रहा हूँ :–

1. पूर्वी सिंहभूम जिला के वरीय आरक्षी अधीक्षक को मेरे द्वारा दी गई सूचना की छायाप्रति (दिनांक –05.07.2016)
2. राज्य के आरक्षी महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक को मेरे द्वारा दी गई सूचना की छायाप्रति (दिनांक–24.08.2016)
3. राज्य के आरक्षी महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक के कार्यालय से मुझे प्राप्त पत्र की छायाप्रति (दिनांक --02.09.2016)

कार्यालय : झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची। आवास : 1, ए.जी. गोड़ कोरण्डा, राँची।
दूरभाष : 0651–2401023, फैक्स : 0651–2402455, मो. : 9431114466
ई.मेल : saryuroyoffice@gmail.com

Scanned with OKEN Scanner

4. राज्य के आरक्षी महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक के कार्यालय को मेरे आप्त सचिव द्वारा प्रेषित पत्र की छायाप्रति (दिनांक–04.11.2016)
5. राज्य के आरक्षी महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक के कार्यालय से मेरे कार्यालय को दी गई सूचना की छायाप्रति (दिनांक–22.11.2016)
6. राज्य के आरक्षी महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक को प्रेषित मेरे चर्या–टिप्पणी की छायाप्रति (दिनांक–02.02.2017)
7. राज्य के आरक्षी महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक के कार्यालय से मेरे कार्यालय को दी गई सूचना की छायाप्रति (दिनांक–09.02.2017)
8. राज्य के आरक्षी महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक को प्रेषित मेरे चर्या–टिप्पणी की छायाप्रति (दिनांक–20.03.2017)
9. राज्य के गृह सचिव को प्रेषित मेरा पत्र (दिनांक–29.05.2017)
10. राज्य के मुख्य सचिव को प्रेषित मेरे पत्रकार छायाप्रति (दिनांक–05.03.2018)
11. झारखंड प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष एवं संगठन महामंत्री को प्रेषित मेरे पत्र की छायाप्रति (दिनांक–15.09.2018)

उपर्युक्त सभी पत्रों के विवरण स्वतः स्पष्ट है. ढाई साल का समय बीत जाने के बाद भी इस संदर्भ में कारवाई नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है. प्रशासन और पुलिस मुख्यालय के वरीयतम अधिकारियों के निर्देशों का जिलास्तरीय अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा पालन नहीं किया जाना और निर्देशों की घोर अवहेलना किया जाना चिंता का विषय है. क़ायदे से राज्य के आला प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को उपर्युक्त विषय में राज्य के एक मंत्री के नाते मेरे द्वारा लिखित रूप में दी गई प्रामाणिक सूचना पर विधिसम्मत कारवाई करने की बाध्यता है. राज्य के मुख्य सचिव और गृह मंत्री को मेरे पत्र का संज्ञान लेकर शीघ्र कारवाई करनी चाहिये थी और कृतकार्य के फलाफल से मुझे अवगत कराना चाहिये था. आवश्यक प्रतीत होने पर उन्हें इस बारे में ससमय आपसे मार्गदर्शन लेना चाहिये था. उन्होंने इस बारे में आपको सूचित किया है या नहीं और आपसे मार्गदर्शन लिया या नहीं इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है. पर इतना अवश्य पता है कि या तो उन्होंने मेरे पत्र को गंभीरता से नहीं लिया या उनके एतदसंबंधी निर्देशों का अनुपालन करना पुलिस अधिकारियों ने आवश्यक नहीं समझा.

यदि मेरे सदृश व्यक्ति के लिये अपने विधान सभा क्षेत्र में हुये एक कांड का पुलिस अनुसंधान कराने में इतनी परेशानी हो रही है तो पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं सामान्य जन की क्या स्थिति होती होगी ! अंतिम प्रयत्न के रूप में मैं इसकी सूचना सीधे आपको दे रहा हूं. पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर आपके स्तर से इस संबंध में ठोस कारवाई नहीं हुई तो अपने स्तर से मैं स्वयं इस बारे में विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित कराने के लिये उपलब्ध अन्य संवैधानिक एवं वैधानिक विकल्पों को अपनाने की दिशा में अग्रसर होऊँगा. इस विषय के लंबा खींचने से या अनसुलझा रहने से राज्य में शासन की विश्वसनीयता और पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खडा हो रहा है.

सादर,

ह0/–
सरयू राय

ज्ञापांक.....

दिनांक.....

प्रतिलिपि : श्री धर्मपाल सिंह, महामंत्री संगठन, भारतीय जनता पार्टी, झारखंड.

सरयू राय

Scanned with OKEN Scanner

सरयू राय

झारखण्ड सरकार

मंत्री
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड सरकार।

पत्रांक–आ.का./06/19
दिनांक– 15-01-2019

विषय : जमशेदपुर के मानगो क्षेत्र में दिनांक 14.5.2016 को घटित एक आपराधिक कांड (एफ़आइआर संख्या–167/2016) का अनुसंधान अबतक नहीं करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कारवाई के संबंध में.

माननीय मुख्य (गृह) मंत्री,
झारखंड सरकार.

महाशय,

उपर्युक्त विषय में राज्य सरकार के पुलिस और प्रशासन के वरीयतम अधिकारियों को मैंने समय–समय पर लिखित एवं मौखिक रूप में सूचित किया है, पर अबतक कोई नतीजा नहीं निकला. इस मामले में जमशेदपुर पुलिस द्वारा डीजीपी का निर्देश नहीं मानने तथा गृह सचिव और मुख्य सचिव का आदेश भी निष्फल हो जाने के बाद मैंने दिनांक 15.09.2018 को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री को पत्र लिखकर उनसे मार्गदर्शन मांगा. उन्होंने इस बारे में आपको भी सूचित किया, पर कोई नतीजा नहीं निकला.

सवाल है कि राज्य में कानून के शासन के प्रति ज़िम्मेदार अधिकारियों का यह रवैया किस कारण से है? क्या इस कांड का अनुसंधान नहीं करने के लिये उनपर कोई दबाव है? क्या वे अपने कर्तव्य के प्रति सजग नहीं हैं? क्या उन्होंने कानून व्यवस्था के प्रति अपने मौलिक दायित्व से मुँह मोड़ लिया है? क्या ये बेलगाम हो गये हैं और उच्चाधिकारियों का निर्देश नहीं मानते हैं? क्या उनपर किसी अदृश्य शक्ति की लगाम लगी हुई है जो उन्हें अपने कर्तव्य पथ से विचलित कर रही है? क्या ये इस आपराधिक कांड को अंजाम देनेवालों के प्रभाव में हैं? क्या इस कांड में जमशेदपुर पुलिस ने दोषियों को बचाने और निर्दोष को फँसाने की नीयत से फर्जी एफआईआर दायर किया है?

कानून के शासन में ऐसा तभी होता है जब शासकीय अधिकारी अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी पर नियम विरूद्ध निर्देश/दबाव को तरजीह देने लगते हैं और भूल जाते हैं कि ऐसे मामलों में राज्य की कार्यपालिका नियमावली तथा भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अनुरूप उनका कर्तव्य क्या है और कर्तव्य पालन के दौरान उनका दैनन्दिन आचरण कैसा होना चाहिये. इस संदर्भ में निम्नांकित विवरण तिथिवार आपके सामने रख रहा हूँ :–

1. पूर्वी सिंहभूम जिला के वरीय आरक्षी अधीक्षक को मेरे द्वारा दी गई सूचना की छायाप्रति (दिनांक –05.07.2016)
2. राज्य के आरक्षी महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक को मेरे द्वारा दी गई सूचना की छायाप्रति (दिनांक–24.08.2016)
3. राज्य के आरक्षी महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक के कार्यालय से मुझे प्राप्त पत्र की छायाप्रति (दिनांक –02.09.2016)

कार्यालय : झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची। आवास : 1, ए.जी. गोड़ डोरण्डा, राँची।
दूरभाष : 0651–2401023, फैक्स : 0651–2482455, मो. : 9431114466
ई.मेल : saryuroyoffice@gmail.com

Scanned with OKEN Scanner

4. राज्य के आरक्षी महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक के कार्यालय को मेरे आप्त सचिव द्वारा प्रेषित पत्र की छायाप्रति (दिनांक–04.11.2016)
5. राज्य के आरक्षी महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक के कार्यालय से मेरे कार्यालय को दी गई सूचना की छायाप्रति (दिनांक–22.11.2016)
6. राज्य के आरक्षी महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक को प्रेषित मेरे चर्या–टिप्पणी की छायाप्रति (दिनांक–02.02.2017)
7. राज्य के आरक्षी महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक के कार्यालय से मेरे कार्यालय को दी गई सूचना की छायाप्रति (दिनांक–09.02.2017)
8. राज्य के आरक्षी महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक को प्रेषित मेरे चर्या–टिप्पणी की छायाप्रति (दिनांक–20.03.2017)
9. राज्य के गृह सचिव को प्रेषित मेरा पत्र (दिनांक–29.05.2017)
10. राज्य के मुख्य सचिव को प्रेषित मेरे पत्रकार छायाप्रति (दिनांक–05.03.2018)
11. झारखंड प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष एवं संगठन महामंत्री को प्रेषित मेरे पत्र की छायाप्रति (दिनांक–15.09.2018)

उपर्युक्त सभी पत्रों के विवरण स्वतः स्पष्ट है. ढाई साल का समय बीत जाने के बाद भी इस संदर्भ में कारवाई नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है. प्रशासन और पुलिस मुख्यालय के वरीयतम अधिकारियों के निर्देशों का जिलास्तरीय अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा पालन नहीं किया जाना और निर्देशों की घोर अवहेलना किया जाना चिंता का विषय है. क़ायदे से राज्य के आला प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को उपर्युक्त विषय में राज्य के एक मंत्री के नाते मेरे द्वारा लिखित रूप में दी गई प्रामाणिक सूचना पर विधिसम्मत कारवाई करने की बाध्यता है. राज्य के मुख्य सचिव और गृह मंत्री को मेरे पत्र का संज्ञान लेकर शीघ्र कारवाई करनी चाहिये थी और कृतकार्य के फलाफल से मुझे अवगत कराना चाहिये था. आवश्यक प्रतीत होने पर उन्हें इस बारे में ससमय आपसे मार्गदर्शन लेना चाहिये था. उन्होंने इस बारे में आपको सूचित किया है या नहीं और आपसे मार्गदर्शन लिया या नहीं इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है. पर इतना अवश्य पता है कि या तो उन्होंने मेरे पत्र को गंभीरता से नहीं लिया या उनके एतदसंबंधी निर्देशों का अनुपालन करना पुलिस अधिकारियों ने आवश्यक नहीं समझा.

यदि मेरे सदृश व्यक्ति के लिये अपने विधान सभा क्षेत्र में हुये एक कांड का पुलिस अनुसंधान कराने में इतनी परेशानी हो रही है तो पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं सामान्य जन की क्या स्थिति होती होगी ! अंतिम प्रयत्न के रूप में मैं इसकी सूचना सीधे आपको दे रहा हूं. पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर आपके स्तर से इस संबंध में ठोस कारवाई नहीं हुई तो अपने स्तर से मैं स्वयं इस बारे में विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित कराने के लिये उपलब्ध अन्य संवैधानिक एवं वैधानिक विकल्पों को अपनाने की दिशा में अग्रसर होऊँगा. इस विषय के लंबा खींचने से या अनसुलझा रहने से राज्य में शासन की विश्वसनीयता और पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खडा हो रहा है.

ह0/–
सादर,
सरयू राय

दिनांक.....

ज्ञापांक.....
प्रतिलिपि : श्री मंगल पांडे, लोकसभा चुनाव प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी, झारखंड.

सरयू राय

Scanned with OKEN Scanner